संख्या-3/2026/1555/003-12-5099-140-2025

प्रेषक,

लाल बहादुर यादव,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

कृषि निदेशक
उत्तर प्रदेश,
कृषि भवन, लखनऊ।

कृषि अनुभाग-5 **लखनऊ : दिनांक 05 फरवरी, 2026**

विषय:- वित्तीय वर्ष 2025-26 हेतु अनुदान संख्या-11 के लेखाशीर्षक 2401-फसल कृषि कर्म, 105-खाद तथा उर्वरक, 03-उर्वरक एवं कीटनाशी गुण नियंत्रण प्रयोगशालाएं योजनान्तर्गत पुनर्विनियोग के माध्यम से वित्तीय स्वीकृति के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्रांक-गु०नि०-109/548/पुनर्विनियोग/2025-26, दिनांक 17 दिसम्बर, 2025 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है वित्तीय वर्ष 2025-26 हेतु अनुदान संख्या-11 के लेखाशीर्षक 2401-फसल कृषि कर्म, 105-खाद तथा उर्वरक, 03-उर्वरक एवं कीटनाशी गुण नियंत्रण प्रयोगशालाएं योजनान्तर्गत मानक मद 01-वेतन, 02-मजदूरी, 03-महंगाई भत्ता, 17-किराया, उपशुल्क और कर स्वामित्व, 43-सामग्री एवं सम्पूर्ति, 49-चिकित्सा व्यय, 55-मकान किराया भत्ता तथा 58-आउट सोर्सिंग सेवाओं हेतु भुगतान में कुल धनराशि रू० 129.61 लाख (रूपये एक करोड़ उनतीस लाख इकसठ हजार मात्र) की संलग्न प्रपत्र बी०एम०-9(भाग-1) पर वित्त विभाग द्वारा आवंटित **आर.ई.संख्या-बजट-1-259, दिनांक 29.01.2026** में प्रदत्त सहमति के अनुसार पुनर्विनियोग किये जाने की स्वीकृति निम्नलिखित शर्तो / प्रतिबन्धों के अधीन श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है :-

नियम व शर्ते / प्रतिबन्धों

1. बचत की धनराशि एवं व्यय की जाने वाली धनराशि का औचित्य कृषि निदेशक, उ०प्र० द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।
2. योजनान्तर्गत जिस मद से पुनर्विनियोग किया जा रहा है, उसमें चालू वित्तीय वर्ष में अतिरिक्त धनराशि की मांग नहीं की जायेगी।
3. प्रस्ताव में आंकडों की शुद्धता का दायित्व कृषि निदेशक, उ०प्र० का होगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

4. जिन मामलों में उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल और वित्तीय संग्रहों तथा स्थायी आदेशों के अन्तर्गत राज्य सरकार / केन्द्र सरकार अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति विभागाध्यक्ष / नियंत्रक अधिकारी द्वारा प्राप्त की जानी आवश्यक हो, उन मामलों में व्यय करने के पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाए।
5. जिस प्रयोजन हेतु धनराशि की मांग की जा रही है, उसी मद / कार्यों में आहरित कर व्यय की जायेगी।
6. जिस मद से पुनर्विनियोग किया जा रहा है, उसका सदुपयोग इसी वित्तीय वर्ष में कर लिया जायेगा।
7. व्यय प्रबन्धन एवं शासकीय व्यय में मितव्ययता के सबंध में वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों का विशेष रूप से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
8. स्वीकृत धनराशि का आहरण/व्यय वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-6/2025/बी-1-352/दस-2025-231/2025, दिनांक 27 मार्च, 2025 एवं इस संबंध में समय-समय पर निर्गत अन्य सुसंगत शासनादेशों में दिये गये निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जायेगा।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय **लेखाशीर्ष:** 2401001050300 (उर्वरक एवं कीट नाशक गुण नियंत्रण प्रयोगशालायें)

	अनुदान संख्या	लेखा शीर्षक	मानक मद	प्रस्तावित धनराशि
1	011	2401001050300 उर्वरक एवं कीट नाशक गुण नियंत्रण प्रयोगशालायें	01 वेतन	34,27,000 (रुपये चौंतीस लाख सत्ताईस हजार मात्र)
2	011	2401001050300 उर्वरक एवं कीट नाशक गुण नियंत्रण प्रयोगशालायें	02 मजदूरी	2,90,000 (रुपये दो लाख नब्बे हजार मात्र)
3	011	2401001050300 उर्वरक एवं कीट नाशक गुण नियंत्रण प्रयोगशालायें	03 मंहगाई भत्ता	15,99,000 (रुपये पन्द्रह लाख निन्यानबे हजार मात्र)
4	011	2401001050300 उर्वरक एवं कीट नाशक गुण नियंत्रण प्रयोगशालायें	17 किराया, उपशुल्क और कर-स्वामिस्व	81,000 (रुपये इक्यासी हजार मात्र)
5	011	2401001050300 उर्वरक एवं कीट नाशक गुण नियंत्रण प्रयोगशालायें	43 सामग्री एवं सम्पूर्ति	18,37,500 (रुपये अठारह लाख सैंतीस हजार पाँच सौ मात्र)
6	011	2401001050300 उर्वरक एवं कीट नाशक गुण नियंत्रण प्रयोगशालायें	49 चिकित्सा व्यय	4,30,000 (रुपये चार लाख तीस हजार मात्र)

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

7	011	2401001050300 उर्वरक एवं कीट नाशक गुण नियंत्रण प्रयोगशालायें	55 मकान किराया भत्ता	6,49,500 (रुपये छह लाख उनचास हजार पाँच सौ मात्र)
8	011	2401001050300 उर्वरक एवं कीट नाशक गुण नियंत्रण प्रयोगशालायें	58 आउट सोर्सिंग सेवाओं हेतु भुगतान	46,47,000 (रुपये छियालीस लाख सैंतालीस हजार मात्र)
	कुल			**1,29,61,000** **(रुपये एक करोड़ उनतीस लाख इकसठ हजार मात्र)**

महायोग	1,29,61,000 (रुपये एक करोड़ उनतीस लाख इकसठ हजार मात्र)

के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-6/2025/बी-1-352/दस-2025-231/2025, दिनाँक 27 मार्च, 2025 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

संलग्नक-यथोक्त।

भवदीय,
लाल बहादुर यादव
विशेष सचिव।

संख्या-3/2026/1555/003-12-5099-140-2025, तद् दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
2. महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
3. प्रधान महालेखाकार प्रथम/द्वितीय-(सिविल/आडिट), उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
4. कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
5. वित्त नियंत्रक, कृषि भवन, लखनऊ।
6. समस्त जनपदीय कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश द्वारा कृषि निदेशक उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
7. वित्त (व्यय-नियंत्रण), अनुभाग-1/नियोजन अनुभाग-3
8. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
लाल बहादुर यादव
विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

बी एम-9 (भाग - 1)
पुनर्विनियोग के लिए आवेदन / स्वीकृति
(संदर्भ : बजट मैनुअल का प्रस्तर- 158)
A012-20252026-12-5099-140-2025

विषय :- वित्तीय वर्ष 2025-26 में उर्वरक एवं कीटनाशी गुण नियन्त्रण प्रयोगशालाएं योजनान्तर्गत पुनर्विनियोग के माध्यम से वित्तीय स्वीकृति के संबंध में।

निम्नलिखित निधियों से प्रस्तावित संकमण

अनुदान संख्या	लेखाशीर्ष	मानक मद	आवेदन पत्र देने के दिनांक पर उपलब्ध अनुदान / विनियोग	आवेदन पत्र देने के दिनांक पर उपलब्ध बचत	संक्रमित की जाने वाली धनराशि	वित्त विभाग द्वारा संक्रमण हेतु अनुमोदित धनराशि	संक्रमण के पश्चात् शेष अनुदान / विनियोग	वित्तीय वर्ष
011	2415010040300 (उर्वरक नियंत्रण आदेश,बीज तथा कीट नाशक अधिनियमों के अन्तर्गत लिये गये नमूनों के विश्लेषण हेतु प्रयोगशाला)	55 (मकान किराया भत्ता)	1,50,000 रुपये एक लाख पचास हजार मात्र	30,000 रुपये तीस हजार मात्र	-30,000 रुपये तीस हजार मात्र	30,000	120000	2025-2026
011	2401000010300 (कृषि निदेशालय का सामान्य अभिदान)	01 (वेतन)	50,87,14,000 रुपये पचास करोड़ सतासी लाख चौदह हजार मात्र	1,08,48,800 रुपये एक करोड़ आठ लाख अड़तालीस हजार आठ सौ मात्र	-1,08,48,800 रुपये एक करोड़ आठ लाख अड़तालीस हजार आठ सौ मात्र	1084800	49786600	2025-2026
011	2415010040300 (उर्वरक नियंत्रण आदेश,बीज तथा कीट नाशक अधिनियमों के अन्तर्गत लिये गये नमूनों के विश्लेषण हेतु प्रयोगशाला)	03 (संहायक भत्ता)	17,11,000 रुपये सत्रह लाख ग्यारह हजार मात्र	7,81 000 रुपये सात लाख इक्यासी हजार मात्र	-7,81,000 रुपये सात लाख इक्यासी हजार मात्र	781000	930000	2025-2026
011	2415010040300 (उर्वरक नियंत्रण आदेश,बीज तथा कीट नाशक अधिनियमों के अन्तर्गत लिये गये नमूनों के विश्लेषण हेतु प्रयोगशाला)	01 (वेतन)	28,52,000 रुपये अट्ठाईस लाख बावन हजार मात्र	13,02,000 रुपये तेरह लाख दो हजार मात्र	-13,02,000 रुपये तेरह लाख दो हजार मात्र	1302000	1550000	2025-2026

निम्नलिखित निधियों से प्रस्तावित संकमण

अनुदान संख्या	लेखाशीर्ष	मानक मद	वित्तीय वर्ष के लिए उपलब्ध / विनियोग	संक्रमण हेतु प्रस्तावित धनराशि	वित्त विभाग द्वारा संक्रमण हेतु अनुमोदित धनराशि	संक्रमण के पश्चात् शेष अनुदान / विनियोग	वित्तीय वर्ष
011	2401001050300 (उर्वरक एवं कीट नाशक गुण नियन्त्रण प्रयोगशालायें)	01 (वेतन)	1,13,60,000 रुपये एक करोड़ तेरह लाख साठ हजार मात्र	34,27,100 रुपये चौंतीस लाख सत्ताईस हजार एक सौ मात्र	3427000	1478700	2025-2026
011	2401001050300 (उर्वरक एवं कीट नाशक गुण नियन्त्रण प्रयोगशालायें)	03 (संहायक भत्ता)	68,16,000 रुपये अड़सठ लाख सोलह हजार मात्र	15,99,500 रुपये पन्द्रह लाख निन्यानवे हजार पाँच सौ मात्र	1599000	841500	2025-2026

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

011	2401001050300 (उर्वरक एवं कीट नाशक गुण नियंत्रण प्रयोगशालायें)	17 (किराया, उपयोगक और कर-स्वामित्व)	5,10,000 रुपये पाँच लाख दस हजार मात्र	81,100 रुपये इक्यासी हजार एक सौ मात्र	81000	591000	2025-2026
011	2401001050300 (उर्वरक एवं कीट नाशक गुण नियंत्रण प्रयोगशालायें)	43 (सामग्री एवं सम्पूर्ति)	21,00,000 रुपये इक्कीस लाख मात्र	18,37,500 रुपये अठारह लाख सैंतीस हजार पाँच सौ मात्र	1837500	3937500	2025-2026
011	2401001050300 (उर्वरक एवं कीट नाशक गुण नियंत्रण प्रयोगशालायें)	58 (आउट सोर्सिंग सेवाओं हेतु भुगतान)	23,30,000 रुपये तीस लाख तीस हजार मात्र	46,47,000 रुपये छियालीस लाख सैंतालीस हजार मात्र	4647000	6677000	2025-2026
011	2401001050300 (उर्वरक एवं कीट नाशक गुण नियंत्रण प्रयोगशालायें)	02 (मजदूरी)	3,00,000 रुपये तीन लाख मात्र	2,90,000 रुपये दो लाख नब्बे हजार मात्र	290000	590000	2025-2026
011	2401001050300 (उर्वरक एवं कीट नाशक गुण नियंत्रण प्रयोगशालायें)	49 (चिकित्सा व्यय)	4,01,000 रुपये चार लाख एक हजार मात्र	4,30,100 रुपये चार लाख तीस हजार एक सौ मात्र	430000	831000	2025-2026
011	2401001050300 (उर्वरक एवं कीट नाशक गुण नियंत्रण प्रयोगशालायें)	55 (मकान किराया भत्ता)	7,33,000 रुपये सात लाख तैंतीस हजार मात्र	6,49,500 रुपये छह लाख उनचास हजार पाँच सौ मात्र	649500	1382500	2025-2026

कृपया उपरोक्त प्रस्ताव पर निम्नलिखित शर्तों के अधीन प्रशासनिक विभाग को अनुमोदन देना चाहे :-

1-स्तम्भ-3 में उल्लिखित अनुदान के सापेक्ष स्तम्भ-4 में अंकित बचत निम्नलिखित कारणों से है :-

अ- वास्तविक मांग के आधार पर बचत है।

2-स्तम्भ-8 में उल्लिखित अनुदान के सापेक्ष स्तम्भ-9 में अंकित व्यय निम्नलिखित कारणों से है :-

ब- उर्वरक एवं कीटनाशी गुण नियंत्रण प्रयोगशालाओं में नवनियुक्त वरिष्ठ प्राविधिक सहायकों(ग्रुप-A) की नियुक्ति के कारण वेतन भत्तों के मद में, मजदूरी तथा चिकित्सा प्रतिपूर्ति मद में लम्बित देयकों के कारण अतिरिक्त की धनराशि की आवश्यकता है।

3-प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त पुनर्विनियोग में उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल के प्रस्तर संख्या-150 व 151 में निर्दिष्ट प्रतिबन्धों/परिसीमाओं का उल्लंघन नहीं होता है।

बजट-1-259 29 जनवरी, 2026

संख्या: आर.ई. -2025-26, दिनांक दिसंबर, 2025

सेवा में,

महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), प्रथम,
उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

Gunjan Dubey
(गुन्जन दुबे)
अनु सचिव।

(सिद्धार्थ कुमार)
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

संख्या-A012-20252026-12-5099-140-2025, दिनांक 29 जनवरी, 26 ~~दिसंबर, 2025~~

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

(1) महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
(2) महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
(3) प्रधान महालेखाकार (सिविल/आडिट) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
(4) वित्त नियन्त्रक, कृषि निदेशालय, उ0प्र0 लखनऊ।
(5) मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
(6) वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 (बी0एम0-9 तीन प्रतियों में)।
(7) वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-1
(8) गार्ड बुक।

आज्ञा से,

Gunjan Dubey

(गुन्जन दुबे)
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।